-:प्रेस नोट दिनांक 09.09.2021 थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा मादक पदार्थो की अवैध रूप से तस्करी करने वाले तस्कर अभियुक्त को 270 ग्राम स्मैक सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के पर्यवेक्षण में 30नि0 श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराही है0का0 730 बाबर खान व का0 2860 मनव्वर आलम मय सरकारी गाडी मय आरक्षी चालक का0 818 लिलत कुमार के थाना हाजा से थाना क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी में वास्ते चैकिंग सिदग्ध व्यक्ति /वाहन , शान्ति व्यवस्था व रोक थाम जुर्म जरायम में रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि पुलिस टीम जब गस्त करते हुए ANA रोड पर सदानन्द आश्रम के पास पहुचे तो एक व्यक्ति हीरो पुक मिनी मोटर साईकिल बिना नम्बर पर आता दिखाई दी जो पुलिस टीम को देखकर पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगा सिदग्ध व्यक्ति का शक होने पर पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दिनांक 09.09.2021 समय प्रातः 06.15 बजे उस व्यक्ति को ANA रोड सदानन्द आश्रम के निकट अगरास तिराहे की ओर रोड पर पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछा तो पकडे व्यक्ति ने अपना नाम 1. नन्हे लंगडा उर्फ रियासत पुत्र अमीर अहमद नि0 मौ0 सराय वार्ड नं0 13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली बताया इसकी नियमानुसार तलाशी लेने पर इस व्यक्ति के कब्जे से 270 (दो सौ सत्तर) ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकडे गये अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः- नन्हे लंगडा उर्फ रियासत पुत्र अमीर अहमद नि0 मौ0 सराय वार्ड नं0 13 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

- 1. मु0अ0स0 294/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 2. मु0अ0स0 448/2007 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 3. मु0अ0स0 255/2011 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 4. मु0अ0स0 289/2013 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 5. मु0अ0स0 338/2014 धारा 8/21 NDPS ACT थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 6. मु0अ0स0 493A/2009 धारा 147,148,324,308,323,506 IPC थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
 - 🗲 <u>बरामदगी का विवरण:-</u> अभियुक्त नन्हे लंगडा उर्फ रियासत पुत्र अमीर अहमद नि0 उपरोक्त के कब्जे से 270 (दो सौ सत्तर) ग्राम स्मैक।

अन्तराष्ट्रीय बाजार में बरामदा स्मैक की कीमत:- 10,80000/-(दस लाख अस्सी हजार रूपये)

- 🗲 प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार अभियुक्त द्वारा स्मैक बेचकर अर्जित की गयी सम्पत्ति का विवरण:-
- 1. अभियुक्त के फतेहगंज पश्चिमी में <u>दो मकान</u>
- 2. कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में <u>06 दुकान</u>
- 3. कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में कस्बा फ0पं0 से हाईवे रामपुर की तरफ जाने वाले रोड पर आशियाना नाम का एक आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित बैंकट हाल है।
- 4. कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में <u>दो प्लाट 300-300 वर्ग गज के</u> वेदांश हास्पिटल के सामने।
- 5. ग्राम सोरहा में भी 08 बीघा कृषक जमीन
- 6. कस्बा फ0पं0 से शाही जाने वाली रोड पर रेलवे क्रासिंग से आगे मजार के सामने ग्राम कुरतरा में <u>भी कृषक भूमि होने की जानकारी</u> प्राप्त हुई है।
 - गिरफ्तारी का घटनास्थल:- ANA रोड निकट सदानन्द आश्रम के पास थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत।
 - गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
- 1.30नि0 नरेन्द्र सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 2.है0का0 730 बाबर थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 3.का0 2860 मनव्वर आलम थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली।
- 4.का0 818 ललित कुमार।

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी) प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पश्चिमी,बरेली।